रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या- 192/2026/1710/22-2-2024-17(1317)/2022
लखनऊ: दिनांक: 17 मार्च, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्यामलाल (बन्दी संख्या-14619) पुत्र श्री अठई, निवासी- ग्राम-धमना, थाना-बार, जनपद-ललितपुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या- 01/2008 में भा०द०वि० की धारा-376(2)(एफ) के अन्तर्गत मा० न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर के आदेश दिनांक 28.03.2009 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बंदी की अपील निर्णीत करते हुए मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक-10.12.2020 द्वारा बंदी की सजा यथावत रखी गयी। दिनांक 01.10.2024 तक अपरिहार 17 वर्ष, 29 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 05 माह, 15 दिन की सपरिहार सजा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाति मुचलका प्रस्तुत करने पर बंदी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या- 192/2026/1710(1)/22-2-2024 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।
3- पुलिस अधीक्षक, ललितपुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in